राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 722/2006/जयपुर

श्री गुरमीत सिंह पुत्र श्री गुरबक्ष सिंह,
वाहन सं0 एचपीए 7866 मार्फत
मै0 जग जननी टेक्सटाईल लि0,बगरू(जयपुर) .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–चतुर्थ,वृत–सी, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा,
अधिकृत अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 17.03.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स)प्रथम,वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 514/एनआरडी/आरएसटी/2000–01/में पारित आदेश दिनांक 28.01.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. अपीलार्थी–व्यवसायी के अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 13.07.2000 को आदेश पारित किया है लेकिन आदेश में हस्ताक्षर नहीं किये है केवल एस.डी. शब्द लिखा है। अतः उक्त बिना हस्ताक्षरित आदेश शून्य है। अपीलीय अधिकारी ने भी आदेश पारित करने में विधिक भूल की है। उनका निवेदन था कि अपील स्वीकार की जावे।

3. प्रत्यर्थी–राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने भी अधिकृत अभिभाषक द्वारा उठाये गये उपरोक्त तथ्यों पर कोई आपत्ति नहीं की है।

4. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–चतुर्थ,वृत–सी, जयपुर मुख्यालय शाहपुरा द्वारा कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.07.2000 में मोहर पर हस्ताक्षर नही होकर, केवल एस.डी.शब्द लिख रखा है जबकि आदेश में हस्ताक्षर होना जरूरी था। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28.01.2006 पारित करते हुए, कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा पारित आदेश में हस्ताक्षर पर बिना घोर किये आदेश पारित कर, अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने में कानूनी भूल की है। बिना हस्ताक्षरित आदेश शून्य है। अतः अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश को अपास्त किया जाता है।

5. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2000 को अवैध घोषित किया जाता है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2006 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष